GOVERNMENT OF HARYANA

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT
(2009-2010)

OF

JAIL DEPARTMENT, HARYANA.

2009-2010

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPT. FOR THE YEAR 2009-10.

In the year 2009-10 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails dept. of Haryana State: -

1.	Central Jail at Ambala and Hisar	02
2.	District Jails at Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonepat, Rewari, Kaithal, Narnaul, Ymn. and Fbd.	13
3.	Borstal institute and Juvenile Jail at Hisar	01
4.	Sub Jails at Palwal, Panipat	02
5.	Jail Training school at Karnal	01
6.	Office of the District Probation Officer at Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani, and Sirsa.	08
	TOTAL	27

2. The total number of prisoners of all categories in jails and judicial lock ups of the state was 14149 as on 01.04.2009, during the year 64975 prisoners remained admitted in the jails. The average number of all categories of inmates during the year was 216.77. At the end of the year, 15581 prisoners were remaining in jails. The number of convicts in Judicial Lockups was 5441 as on 01.04.2009. During the year, 8125 persons were convicted either by the courts in Haryana, or on transfer from other places were sent to the jails in Haryana.7990 convicts were discharged from jails. Thus 5576 convicts were remaining at the end of the year. Daily average of convicts during the year was 37.16 Maximum number of convicts of all types was 5576. The number of High Security Class convicts as on 01.04.2009 was 40. During the year, 23 convicts were admitted and 40 convicts were discharged. 23 convicts were remaining at the end of the year. The number of persons imprisoned in lieu of fine was 32 as on 01-04-09 and during the year, 508 convicts were admitted and 520 were discharged. Thus 20 convicts were remaining at the end of the year.

The number of undertrial prisoners as on 01.04.2009 was 8708. During the year, further 56837 undertrial prisoners were admitted in Jails. Daily average of such undertrial prisoners was 179.57. Maximum number of undertrial prisoners was 9898. Out of 65545 undertrial prisoners, 55647 were released, 9898 undertrial prisoners were remaining at the end of the year. 41 undertrial prisoners were transferred and 30 prisoners died during the year. The undertrial prisoners had to stay in jails of Haryana on an average of 55 days.

Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.04.2009 was 540. During the year, 2239 women prisoners were admitted in Jails (direct or by

transfer from other Jails) and 2271 women were either released or sent to oth Jails. Therefore, number of women prisoners at the end of the year were 50 There were 53 children along with women prisoners as on 01.04.2009. Durin the year, 5 children were born and 332 came to Jail with women prisoners. 34 children were released with women prisoners. Thus, at the end of the year, onl 44 children remained admitted alongwith the women prisoners.

3. During the year a sum of Rs. 67,26,77,000/- was spent on the protection diet etc. of the prisoners. Thus per capita average expenditure was Rs. 49,938/ (Rs. 136.81 per prisoner per day).

4. During the year 2009-10, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation of Jails. T.B patients were isolated in special wards and they were given suitable medical treatment. In order to improve the general sanitation, flush latrines with under ground sewerage were provided for prisoners in all jails of Haryana. Further more fans were also provided in living barracks and other accommodation for the prisoners. These conveniences provided to the prisoners with much desired relief during the summer and rainy seasons.

During the year under report, the standard discipline in the jails was satisfactory, the details of which are as under: -

(a) Quarrels/Brawls ☞ During the year 2009-10, there was one Quarrel/Brawl in Jails of the state.

(b) Hunger Strike ☞ During the year 2009-10, no Prisoner or Undertrial resorted to hunger strike.

(c) Escape ☞ During the year 2009-10, 4 prisoners escaped from the Jails of Haryana and 4 prisoners were recaptured.

(d) Attack ☞ During the year 2009-10, there was no case of attack on the prisoners.

(e) Offences ☞ During the year 2009-10, the total number of Jail offences were 2048, the details of which are as under:

	Offences	2008-09	2009-10
(i)	Total offences for which the prisoners were sent to courts.	1537	2134
(ii)	Total Major Offences	473	1483
(iii)	Minor Offences	1064	651
	Total (II+III)	1537	2134

39 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely d 3104 prisoners were released on parole/ furlough. With a view to mitigate e financial difficulties and physical strains of the relatives and friends to visit e prisoners, the prisoners are kept in the jails nearest to their home places as far possible. The prisoners whose performance in jails was adjudged best and hose Jail conduct was found satisfactory, they were awarded special remission.

For mental and physical development of the prisoners, arrangement for ctures on religious topics were made. Arrangements for morning and evening rayers, meetings, radio programmes, indoor and outdoor games and practices of oga had also been made. 1438 lectures, 41 dramas and 230 cultural programmes were organized. For the recreation of prisoners, television sets have also been nstalled in Jails.

5. The details of production of factories in jails are given in table below:-

Sr. No.	Name of Jails	2008-09	2009-10
1.	C.J. Ambala	1888033-00	2290896
2.	C.J. Hisar	1021050-00	847324
3.	B.I.J. Hisar	36578-00	-
4.	D.J. Rohtak	1368333-00	876705
5.	D.J. Karnal	1020091-00	868099
6.	D.J. Narnaul	48750-00	16553
7.	D.J. Bhiwani	505167-00	407660
8.	D.J. Gurgaon	363296-00	21647
	Total:	6251298-00	5328884

7. In the year 2009-10, 385 Assiatant Superintendent/ Sub. Assiatant Superintendent/ Head Warders and Warders were imparted training in the Jail Training School, Karnal. During the year 2009-10, 248 officers/officials were imparted training in various Institutes.

8. The prisoners were given the facilities for purchasing commodities for their personal use such as Sugar, Tea, Gur, Ghee, Soap, Oil etc. from the canteen

of the Jails at reasonable prices. These canteens have been opened in the Central Jails/ District Jails, Borstal Institution and Juvenile Jail and major Sub Jails.

9. This facility checked the tendency of taking things from outside in Jails. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distributing ration and other goods. Special concession was given to those prisoners performing excellent work. The welfare officers have been appointed in each prison at Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon and Borstal Jail at Hisar. They help the prisoners in improving upon their personal behavior and prisoners were given training in industries and agricultural practices according to their choice.

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.03.2010 there was a provision for accommodation of 14212 prisoners in Haryana, where as the average number of prisoners in the year was 14245. During this year the number of prisoners in all Central/ District Jails &* Borstal Jails was more than the accommodation capacity.

2. In the year 2009-10, 4 prisoners escaped from the Jails of Haryana and 4 were recaptured. There was only one case of turmoil in a jail of the state. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack during the year

3. In the year 2009-10 goods worth Rs. 53,28,884/- were produced in the industries being run in the jails as against production worth Rs. 62,51,298/- during the year 2008-09. In the year 2009-10, 39 life term prisoners were released prematurerly. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3104 prisoners were released on parole/ furlough.

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2009—10 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 2009—10 में निम्नलिखित संस्थायें हरियाणा राज्य के जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही :—

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	☞ 02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल व कैथल, यमुनानगर एवं फरीदाबाद	☞ 13
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	☞ 01
4.	उप जेल, पलवल, पानीपत	☞ 02
5.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	☞ 01
6.	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	☞ 08
	कुल जोड	☞ 27

2. राज्य की सभी जेलों तथा ज्यूडिशियल लोकअप में सभी श्रेणियों के बन्दियों की संख्या 01.04.2009 को 14149 रही। वर्ष के दौरान 64975 बन्दी दाखिल हुए। बन्दियों की वर्ष भर औसत संख्या 216.77 रहीं। वर्ष के अन्त में शेष बन्दी 15581 रहे। सिद्ध दोषियों की संख्या ज्यूडिशियल लोकअप में रहने वालों के अतिरिक्त 01.04.2009 को 5441 थी। वर्ष भर में 8125 सिद्धदोषी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। वर्ष के दौरान 7990 बन्दी रिहा किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल 5576 सिद्व द्वोषी जेलों में रह गये। सिद्व दोषियों की दैनिक औसत तथा अधिकतम संख्या कमशः 37.16 थी। दिनांक 01.04.2009 को उच्च श्रेणी के दोषियों की संख्या 40 रही तथा वर्ष के दौरान 23 बन्दी दाखिल हुए और 40 छोडे गये और वर्ष के अन्त में संख्या 23 थी। जुर्माना के तहत कैद हुये दोषियों की संख्या 01.04.2009 को 32 थी और वर्ष के दौरान 508 दाखिल हुए और 520 छोडे गये। वर्ष के अन्त में 20 बन्दी शेष रह गये।

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 01.04.2009 को 8708 थी। वर्ष भर में 56837 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये, ऐसे बन्दियों की दैनिक औसत संख्या 179.57 रही तथा अधिकतम संख्या 9898 थी। कुल 65545 विचाराधीन बन्दियों में से 55647 को छोड़ दिया गया और वर्ष के अन्तिम दिन 9898 विचाराधीन बन्दी शेष रहे। 41 बन्दियों को अन्य जेलों पर बदला गया। पूरे वर्ष के दौरान

30 बन्दियों की मृत्यु हुई। विचाराधीन बन्दियो को औसतन 55 दिन जेल मे रहना पडा।

हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.04.09 को स्त्री बन्दियों की संख्या 540 थी। 2239 स्त्री बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये तथा 2271 स्त्री बन्दियों को मुक्त किया या दूसरे राज्यो की जेलों में भेजा गया और वर्ष के अन्त में स्त्री बन्दियों की संख्या 508 थी। दिनांक 01.04.2009 को जेलों में स्त्री बन्दियों के साथ 53 बच्चे थे और वर्षभर में जेलों में 5 बच्चे पैदा हुऐ और 332 बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ जेलों में आये और 346 बच्चों को स्त्री बन्दियों के साथ छोडा गया। वर्ष के अन्त में कुल 44 बच्चे स्त्री बन्दियों के साथ रह गये।

3. बन्दियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर में 67,26,77,000/– रूपये खर्च किये गये । इस प्रकार प्रति बन्दी औसतन खर्चा 49,938/– रूपये हुआ (136 रूपये 81 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

4. बन्दियों का स्वास्थ्य 2009–10 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई आदि का ध्यान रखा गया, तपेदिक रोगियों को स्पेशल वार्ड में रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया, जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतू बन्दियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध किया गया । बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटायें गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। इसके अतिरिक्त बन्दियों की बैरकों तथा अन्य रहने के स्थान में बिजली के पंखे लगाये हुए है। इन सुविधाओं के पर्याप्त मात्रा में होने से बन्दियों को ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में काफी राहत मिली है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से किया गया है:–

(क) झगडे के मामले	–	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर एक उपद्रव हुआ।		
(ख) भूख हड़ताल	–	वर्ष 2009–10 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।		
(ग) फरारी	–	वर्ष 2009–10 में हरियाणा की जेलों से चार बन्दी फरार हुये और चार ही बन्दी पकडे गये।		
(घ) आक्रमण	–	वर्ष 2009–10 में बन्दियों पर कोई आकमण नहीं हुआ।		
(ड़) अपराध	–	वर्ष 2009–10 में अपराधों की कुल संख्या 2048 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–		
			2008–09	2009–10

1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को अदालत में भेजा गया।	473	1483
2.	मुख्य अपराध	1064	651
3.	लघु अपराध	1537	2134
	कुल अपराध	1537	2134

39 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3140 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया। बन्दियों को उनके रिश्तेदारों तथा दोस्तों द्वारा मुलाकात करने बारे वित्तीय तथा शारीरिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, को ध्यान में रखते हुये बन्दियों को जहां तक संभव हो सके उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है। जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक रहा उन्हें विशेष छूट दी गई।

5. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये धार्मिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल की प्रार्थना सभाओं, योगाभ्यास का प्रबन्ध भी रेडियों, अन्दर तथा बाहर की क्रीडाओं के अतिरिक्त 230 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। 1438 व्याख्यान, 41 ड्रामें और सभी जेलों में टेलीविजन आयोजित किये गये। बन्दियों के मनोरंजन के लिये भी लगाये हुयें है।

6. निम्नलिखित जेलों में तैयार किये गये माल के मूल्य का ब्यौरा दिखाया गया है:–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2008–09 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2009–10 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	1888033.00	2290896
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1021050.00	847324
3.	बच्चा जेल हिसार	36578.00	
4.	जिला जेल रोहतक	1368333.00	876705
5.	जिला जेल करनाल	1020091.00	868099
6.	जिला जेल, नारनौल	48750.00	16553
7.	जिला जेल भिवानी	505167.00	407660
8.	जिला जेल गुडगांव	363296.00	21647
	कुल जोड़	6251298.00	5328884

7. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल में 2009–10 में 385 सहायक अधीक्षक/उप सहायक अधीक्षक/हैड वार्डरज तथा वार्डरज को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2009–10 मे 248 अधिकारियो/कर्मचारियो को अलग–अलग संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया।

8. बन्दियों को उचित मूल्यों पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीद की सुविधा दी गई है, जैसे चीनी, चाय, गुड, घी, साबुन, तेल इत्यादि। ये कैन्टीन केन्द्रीय कारागारों, जिला कारागारों, बोस्टल संस्था तथा बच्चा जेल में तथा उप–कारागारों में हैं।

9. इस सुविधा से निषेध वस्तुओं को जेलों में ले जाने की मात्रा में कमी आई। भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्दियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। जिन–जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें विशेष छूट दी गई। अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुडगांव तथा बच्चा जेल हिसार की कारागारों में एक–एक कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं जिन्होंने बन्दियों का निजि व्यवहार सुधारनें में उनकी सहायता की । बन्दियो को उनकी रूचि के अनुसार उद्योग, आधुनिक कृषि कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जेल विभाग, हरियाणा।

समालोचना

वर्ष के अन्त 31–03–2010 तक हरियाणा में 14212 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि बन्दियों की औसत संख्या 14245 थी। इस वर्ष सभी केन्द्रीय जेलों/ जिला जेलों व बच्चा जेल हिसार में अपराधियों की संख्या अधिकृत स्थान से अधिक थी।

2. वर्ष 2009–10 में जेलों से चार बन्दी फरार हुये और इन 4 बन्दियों को पकड लिया। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में एक झगडे का मामला हुआ। वर्ष भर मे कोई आकमण नहीं हुआ पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने भूख हडताल भी नही की।

3. वर्ष 2009–10 में रूपये 53,28,884/– की लागत का माल जेलों की उद्योगशालाओं मे तैयार किया गया जबकि वर्ष 2008–09 में 62,51,298/– रूपये का माल तैयार हुआ था। वर्ष 2009–10 के दोरान, 39 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तो को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3104 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर छोडा गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जेल विभाग, हरियाणा।

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2009–10 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

1. **प्रस्तावना**

जेल विभाग का 1.4.2009 से 31.3.2010 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा:–

1. डा0 जान वी. जोर्ज, आई0पी0एस0
महानिदेशक कारागार हरियाणा

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की:–

1. श्री आर0सी0 जोवल, आई0पी0एस0
महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ।
2. श्री आर0सी0 मिश्रा, आई0पी0एस0
उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कारागार हरियाणा।
3. श्री सुधीर मोहन, आई0पी0एस0
महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ।
4. श्री के0के0 बंसल,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी ।
5. श्री वी0के0 जाम्ब,
मुख्य लेखा अधिकारी ।
6. श्री कर्म चंद सैनी,
लेखा अधिकारी ।
7. श्री जे0एस0 गिल,
सहायक जिला न्यायवादी ।
8. श्री ब्रिज बिहारी, कार्यालय अधीक्षक
9. श्री दौलत राम, कार्यालय अधीक्षक
10. श्री ललित कुमार, अनुभाग अधिकारी
11. श्री राय सिंह, रतन सिंह, आत्मा राम
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी ।
12. श्री हरीश कुमार, एच0पी0एस0
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी ।

2. **संस्थायें**

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थायें हैं :—

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	:	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल कैथल, यमुनानगर एवं फरीदाबाद ।	:	13
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	:	01
4.	उप जेल, पलवल, पानीपत	:	02
5.	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	:	01
6.	जिला परिवीक्षा अधिकारी, सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	:	08
	कुल जोड़	:	27

3. **बन्दियों में अनुशासन व उनका आचरण**

कुल मिलाकर बन्दियों में अनुशासन का स्तर उंचा रहा। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होती है :—

क)	उपद्रव	—	वर्ष भर में राज्य की सभी जेलों पर एक उपद्रव हुआ।	
ख)	भूख हड़ताल	—	वर्ष 2009—10 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने भूख हड़ताल नहीं की।	
ग)	फरारी	—	वर्ष 2009—10 में हरियाणा की जेलों से चार बन्दी फरार हुये और चार बन्दी पकडे गये।	
घ)	आकमण	—	वर्ष 2009—10 में बन्दियों पर कोई आकमण नहीं हुआ।	
ड़)	अपराध	—	वर्ष 2009—10 में अपराधों की कुल संख्या 2048 थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—	

		2008—09	2009—10
1.	कुल अपराध जिसके लिए बन्दियों को आदालत में भेजा गया।	1537	2134
2.	मुख्य अपराध	473	1483
3.	लघु अपराध	1064	651
	कुल अपराध	1537	2134

4. **सुधार तथा सुविधायें**

वर्ष 2009—10 में बहुत सी जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही । बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. **पैरोल / फरलो** *

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल / फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छुट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। इसके पश्चात केवल जिलाधीश से विचार—विमर्श किया जाता है। पैरोल / फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी ।

ख. **समय पूर्व रिहाई**

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति को अपने यादी क्रमांक 46 / 23 / 2000—4जेजे— ।। दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया है। नई नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा हवालात अवधि सहित 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य / घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सज़ा को माननीय राष्ट्रपति महोदय / माननीय राज्यपाल द्वारा करूणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केसों पर उन द्वारा हवालात अवधी सहित 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता है। हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी कमांक 36 / 135 / 91—1 जेजे— । दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। नई नीति के अनुसार वर्ष 2009—10 में 39 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण आदि के कारण समय पूर्व रिहा किया गया है।

ग. **बन्दियों की बदली**

बन्दियों के रिश्तेदारों तथा दोस्तों को मुलाकात करने बारे वितिय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब बन्दियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नज़दीक जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा दोस्त बन्दियो से आसानी से मिल सकें।

घ. **कैन्टीन**

केन्द्रीय जेल अम्बाला / हिसार तथा जिला जेलों तथा बोस्टल जेल में बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू हैं। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली

वस्तुएं जैसे चीनी, घी, चाय तथा गुड आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में बिना अधिकार प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संख्या पर पूरा नियन्त्रण रहा है।

ङ पंचायतें

भिन्न–2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

च छूट

जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

छ पंखे

बन्दियों को बैरकों में पखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके। हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जहां पर यह सुविधा प्रदान कर रखी है।

ज फलश टाईप शौचालय

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबन्ध किया गया है जिनके गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर है।

झ बन्दियों का मनोरंजन

बन्दियों के मनोरजन के लिए जेलों में रेडियों/टेलिविज़न सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक प्रकार से देखे जा सकते हैं।

5. भौतिक तथा नैतिक शिक्षा का सांस्कृतिक कार्यक्रम

भौतिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न–2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की गई है। इसमें भीतर तथा बाहरी कीड़ा, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सांय की प्रार्थना सभाएं, रेडियों प्रोग्राम भी करते हैं। प्रति दिन टेलिविज़न शौ भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पब्लिक द्वारा 952 व्याख्यान, 48 ड्रामें तथा 143 रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

6. कल्याण सेवायें

अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, गुडगांव तथा बच्चा जेल हिसार की जेलों में एक–एक कल्याण अधिकारी नियुक्त है। इन अधिकारियों ने बन्दियों को नए वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने बन्दियों के निजी व्यवहार और मुश्किलों को हल करने में सहायता की। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने नए आने वाले बन्दियों से अनुस्थापन बात–चीत की। इस प्रकार छूट जाने वाले बन्दियों से भी सम्पर्क पैदा किया जिससे यदि किसी व्यक्ति की रिहाई के बाद पुनर्वास में किसी प्रकार की सहायता अथवा निर्देशन की आवश्यकता हो तो उसे सहायता दिए जाने बारे भी प्रावधान किए जाने की व्यवस्था की गई।

अध्याय –2

उद्योग

1. वित्त वर्ष 2009–10 में बन्दियों को फैक्टरी में काम पर लगाए जाने की संख्या 1326 थी।

2. वित्त वर्ष 2008–09 में कुल उत्पादन धन राशि 62,51,298/– रूपये का हुआ एवं वित्त वर्ष 2009–10 में कुल उत्पादन धन राशि 53,28,884/– रूपये रहा जो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 9,22,414/– रूपये कम हुआ।

3. अलग–2 जेलों का उत्पादन निम्न सारणी में वर्ष 2009–10 में हुए उत्पादन की संख्या भी दशाई जाती है:–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2008–09 में हुआ उत्पादन	वर्ष 2009–10 में हुआ उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	1888033.00	2290896
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1021050.00	847324
3.	बच्चा जेल हिसार	36578.00	876705
4.	जिला जेल रोहतक	1368333.00	868099
5.	जिला जेल करनाल	1020091.00	16553
6.	जिला जेल, नारनौल	48750.00	407660
7.	जिला जेल भिवानी	505167.00	21647
8.	जिला जेल गुडगांव	363296.00	5328884
	कुल जोड़	**6251298.00**	

4. वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में प्रति व्यक्ति उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नलिखित है। उसमें विभिन्न जेल उद्योगों में लगाए गए व्यक्ति की औसत संख्या, प्रति व्यक्ति उत्पादन दिया गया है, जिससे पता चलता है कि कितनी प्रगति हुई:–

क्रम संख्या	जेलों का नाम	वर्ष 2008–09 में प्रति दिन बन्दियों की संख्या	वर्ष 2008–09 में प्रति बन्दी उत्पादन	वर्ष 2009–10 में प्रति दिन बन्दियों की संख्या	वर्ष 2009–10 में प्रति बन्दी उत्पादन
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	44	42910	2	1145448
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	151	6762	116	1305
3.	बच्चा जेल हिसार	18	2032	0	0
4.	जिला जेल, रोहतक	25	54733	590	1486
5.	जिला जेल, करनाल	422	2417	544	1596
6.	जिला जेल, नारनौल	15	3250	5	3311
7.	जिला जेल, भिवानी	16	31573	33	12353
8.	जिला जेल, गुडगांव	18	20183	36	601
	कुल जोड	**709**	**1,63,860.00**	**1326**	**1166100**

5. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2009–10 में तथा इससे पूर्व वर्ष 2008–09 तक निम्नलिखित जेलों में जेल विभाग मे बिकी का ब्यौरा :–

क्रम स0	जेलों का नाम	वर्ष 2008–09 में हुई बिक्री	वर्ष 2009–10 में हुई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	1344377.00	1006269
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	342374.00	559976
3.	बच्चा जेल हिसार	73101.00	21517
4.	जिला जेल, रोहतक	345847.00	863519
5.	जिला जेल, करनाल	1019630.00	791350
6.	जिला जेल, गुडगांव	363296.00	235147
7.	जिला जेल, भिवानी	570338.00	51617
8.	जिला जेल, नारनौल	10800.00	0
	कुल जोड़	**40,69,763.00**	**3529395**

जेल विभाग, दूसरे सरकारी विभागों तथा प्राईवेट व्यक्तियों से की गई बिकी का ब्यौरा:–

क्रम स0		वर्ष 2008–09	वर्ष 2009–10
1.	जेल विभाग से की गई ब्रिकी	4069763.00	3529395
2.	दूसरे सरकारी विभागो से की गई ब्रिकी	2211139.00	2026565
3.	प्राईवेट विभागों से की गई ब्रिकी	86415.00	818379
	कुल जोड	**6367317.00**	**6374339.00**

क्रम स0	जेल का नाम	सरकारी विभागों से की गई बिक्री	जेल विभाग से की गई बिक्री	प्राईवेट विभाग से की गई बिक्री
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	691898	1006269	0
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	657817	559976	3650
3.	बच्चा जेल हिसार	0	21517	0
4.	जिला जेल, रोहतक	70172	863519	0
5.	जिला जेल, करनाल	20800	791350	7406
6.	जिला जेल, नारनौल	0	235147	0
7.	जिला जेल, भिवानी	327720	51617	807323
8.	जिला जेल, गुडगांव	254592	0	0
9.	जिला जेल कुरूक्षेत्र	3566	0	0
	कुल जोड़	**2026565**	**3529395**	**818379**

6. निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में वर्ष 2009–10 तथा इससे पूर्व वर्ष 2008–09 मे निम्न जेलों द्वारा वसूली का ब्यौरा:–

क्रम सं0	जेलों का नाम	वर्ष 2008–09 में हुई वसूली	वर्ष 2009–10 में हुई वसूली
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	465867.00	1701817
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	1955713.00	657817
3.	बच्चा जेल हिसार	73101.00	9480
4.	जिला जेल, रोहतक	521708.00	1408564
5.	जिला जेल, करनाल	1140343.00	18320
6.	जिला जेल, गुडगांव	41175.00	489739
7.	जिला जेल, भिवानी	723962.00	807323
8.	जिला जेल, महेन्द्रगढ़	....	0
9.	जिला जेल, नारनौल	16180.00	16553
	कुल जोड़	**4938049.00**	**5109613**

जेलों द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वह अन्य विभागों को उनकी मांग अनुसार सप्लाई किया जाता है।

7. **कृषि फार्म**

वित्त वर्ष 2009–2010 में जेल कृषि फार्म पर कुल खर्चा रूपये 22,73,321 किया गया तथा कृषि फार्म से कुल उत्पादन रूपये 77,71,587 का हुआ । इस प्रकार कृषि फार्म से वर्ष भर में कुल आय रूपये 54,98,266 हुई । जिस का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम स0	जेल का नाम	कुल खर्चा रूपये में	कुल उत्पादन रूपये में	कुल आय रूपये में
1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला	80266	405941	325675
2.	केन्द्रीय जेल हिसार	71281	326562	255281
3.	जिला जेल, रोहतक	43330	176576	133246
4.	जिला जेल, करनाल	1263386	4826740	3563354
5.	जिला जेल, भिवानी	148827	489972	341145
6.	जिला जेल, सोनीपत	204728	675523	470795
7.	जिला जेल, जीन्द	367367	665714	298347
8.	जिला जेल, सिरसा	94136	204559	110423
	कुल जोड़	**2273321**	**7771587**	**5498266**

8. **कपड़ा**

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढ़ग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतू कपड़ा बनाया जा रहा है। बोस्टल जेल हिसार तथा भिवानी जेलों पर हथकरघा से भी कँपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के झाडन/बस्ताज/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सूचारू रूप से पूरी की जा रही है।

केन्द्रीय जेल, अम्बाला के बन्दियों को तथा बोस्टल जेल, हिसार के बन्दियों को विशेष रूप से स्त्री बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग देने हेतू दोनों जेलों पर सोक्स निटिंग मशीनों की स्थापना हो चुकी है। अतः इन बन्दियों को ट्रेनिंग देने के लिए फिलहाल जिला रोज़गार कार्यालय के माध्यम से इन्सट्रक्टर नियुक्त करवाये जा रहे हैं और इस प्रकार बन्दियों को जुराबें बुनने की ट्रेनिंग दी जायेगी। इससे विभाग के वार्डर गार्द की जुराबों की मांग को पूरा होने के साथ–साथ पुलिस विभाग/गृह रक्षी विभाग तथा हरियाणा राज्य के अन्य विभागों की जुराबों की मांग को पूरा किया जा सकेगा।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगे, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय –3

(विशेष संस्थायें)

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग तथा राज्यों के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस स्कूल में वार्डर तथा हैड वार्डरों, उप सहायक अधीक्षक के साथ–2 अधीक्षक, उप अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। इस सम्बन्ध में जेल मैनुअल कारागार, प्रशासन, कानून, क्रिमिनालोजी, साईकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, मिलिट्री ड्रिल, तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग–धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण के साथ–2 जेल के प्रशासन में जेल के कैदियों में सुधार के साथ–2 अभ्यस्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार की ओर ध्यान दिया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, उन्हें ट्रेनिंग शिविरों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

2. स्त्रियों के लिए कारागार

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था । यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख–भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मैटरन व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं।

वर्ष 2009–10 में जेल में हुई भर्ती दोषी स्त्रियों की संख्या तथा उनकी मुक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

1.4.2009 को स्त्री कैदियों की संख्या	सीधे/बदली द्वारा जेल में आये स्त्री बन्दियों की संख्या	मुक्त किए गए/ बदली किए स्त्री बन्दियों की संख्या	31.3.2010 को स्त्री बन्दियों की संख्या
540	2239	2271	508

वर्ष 2009–10 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक औसत संख्या 508 थी। बन्दियों के कपड़ों की मुरम्मत के लिए/कुछ और कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

3. छोटे बच्चों का विवरण

जो शिशु बन्दी औरतों के साथ जेल में आये उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

1.	01.04.2009 को बच्चों की संख्या	:	53
2.	01.04.2009 से 31.03.2010 तक जेल में पैदा हुए बच्चे	:	5
3.	01.04.2009 से 31.03.2010 तक भर्ती हुए बच्चों की संख्या	:	332
4.	छोड़े गए बच्चों की संख्या		346
5.	शेष 31.03.2010 को संख्या		44

1.	छः मास तक के बच्चों की संख्या	:	02
2.	छः मास से एक साल तक के बच्चों की संख्या	:	06
3.	एक साल से 3 साल तक के बच्चों की संख्या	:	18
4.	3 साल से 5 साल तक के बच्चों की संख्या	:	12
5.	5 साल से उपर के बच्चों की संख्या	:	06
	कुल	:	44

4. बोस्टल संस्था एवं बच्चा जेल हिसार

हरियाणा की एक मात्र जेल है, जो कि आधुनिक ढंग की है। इसमें किशोर बन्दियों के लिए खेल–कूद उद्योग सिखाने, स्कूल, हसपताल आदि का प्रबन्ध है।

वर्ष 2009–10 में इस संस्था में निम्न किशोर बन्दियों को रखा गया है। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :–

		आई.पी.सी के अधीन सिद्ध दोषी	बोस्टल एक्ट के अधीन कैदी
1.	वर्ष के शुरू में संख्या	13	.....
2.	कितने वर्ष भर में दाखिल हुए	63	.....
	जोड़	76	.....

1.	जिनकी बदली दूसरी जेलों की गई	21	...
2.	अपील पर रिहाई	...	...
3.	सरकार के आदेश अनुसार रिहाई	...	...
4.	जमानत पर रिहाई	31	...
5.	कैद की समाप्ति पर रिहाई	9	...
6.	भगौड़े कैदियों की संख्या	...	...
7.	कैद से छूट आदि मिलने पर रिहाई	...	...
8.	मरे हुए कैदियों की संख्या	...	...
9.	अन्य कारणों से	...	...
	जोड़	61	...
	वर्ष के अन्त में शेष कैदी	15	

इस संस्था में ऐसे किशोर बन्दियों को जिनको न्यायालय से सज़ा मिलती है और उनकी आयु 21 वर्ष से कम होती है, रखने का प्रबन्ध है। इस प्रकार इस संस्था का उद्देश्य किशोर बन्दियों के पूर्व जीवन और आचरण के कारणों का पता लगाना है। साथ ही उनको सभ्य नागरिक और कानून का आदर करने वाले शहरी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए उनके मानसिक सुधार, उद्योग तथा कामकाज़ की ट्रेनिंग आधुनिक खेती–बाड़ी के ढंग सिखाने का प्रबन्ध किया जाता है। इन नौजवानों को नशीली चीजों से दूर रखने तथा पढ़ाई लिखाई आदि का महत्त्व भी सिखाया जाता है। इससे उनके सुधार और रिहाई के बाद अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी जीविका कमाने में सहायता मिलती है। इस संस्था में प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई में बैठने का प्रबन्ध किया जाता है।

5. शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग

दूसरे कार्यक्रमों के साथ–2 किशोर बन्दियों को शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा के आचरण की ओर भी ध्यान रखा जाता है और उन्हें ड्रिल, जिमनास्टिक तथा यौगिक अभ्यास प्रशिक्षण कुशल ड्रिल इन्सट्रक्टर द्वारा करवाया जाता है। साथ ही बासकिट बाल, कबड्डी आदि क्रीडाओं का भी प्रबन्ध है। बन्दियों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, हिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याखानों का प्रबन्ध किया जाता है।

6. मनोरंजन

किशोर बन्दियों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंगा–रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी0वी0 का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और ड्रामें भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर अच्छी तरह से ज्ञान होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है।

7. भवन तथा स्थान

इस समय हरियाणा में निम्नलिखित जेलें हैं:–

1.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार	:	02
2.	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर एवं फरीदाबाद	:	13
3.	बोस्टल संस्था एवं जुवनाईल जेल, हिसार	:	01
4.	उप जेल, पलवल, पानीपत।	:	02
	कुल जोड़	:	18

सभी कारागारों में कुल 14212 कैदियों को रखने का स्थान है।

अध्याय –4

1. **बंदी संख्या**

हरियाणा की जेलों में कैदियों की संख्या 01.04.2009 को 14149 थी और यह संख्या 31.03.2010 को 15581 हो गई। वर्ष भर में बन्दियों की औसत संख्या 14245 थी।

विवरण संख्या –1

2. **बन्दियों का प्रवेश तथा भुगतान**

क. सिद्धदोषियों की संख्या 1.4.2009 को 5441 थी। वर्ष भर 8125 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सज़ा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आयें और 7990 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.3.2010 को कुल 5576 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. सिद्धदोषियों की औसत दैनिक संख्या 1.4.2009 से 31.3.2010 तक 5441 थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 14149 थी।

ग. उच्च श्रेणी के दोषी

उच्च श्रेणी के दोषियों के प्रवेश तथा भुगतान का विवरण इस प्रकार है :–

1.4.2009 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए	31.3.2010 को शेष
40	23	40	23

घ. नज़रबंद

सभी श्रेणियों के लिए उपर दिए गए आम तथा उच्च श्रेणी के दोषियों के वर्ष भर में रखे गए नज़रबन्दों का विवरण

1.4.2009 को	वर्ष भर में प्रवेश	छोड़े गए बन्दी	31.3.2010 को शेष
......	......	......	......

ङ जुर्माने के बदले में दोषी

जुर्माने के बदले में कैद हुए दोषियों का विवरण नीचे दिया जाता है :–

1.4.2009 को गणना	वर्ष भर में प्रवेश	वर्ष भर में छोड़े गए	31.3.2010 को शेष
32	508	520	20

च. बच्चे

नियमों के अनुसार 6 वर्ष के बच्चों को अपनी माताओं जिन्हें दण्ड के तौर पर जेल में दाखिल किया जाता है, के साथ रह सकते हैं। इनका पालन–पोषण सरकारी खर्चे पर किया जाता है। ऐसे बच्चों का विवरण नीचे दिया जाता है :–

1.4.2009 को गणना	वर्ष भर में दाखिल किए गए	जेल में पैदा हुए बच्चे	छोड़े गए	31.3.2010 को शेष
53	332	5	346	44

विवरण संख्या– 2

3. **धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय**

वर्ष भर में भर्ती हुए दोषियों का धर्म, आयु, तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :–

तालिका –1

धर्म	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	13	.16
मुसलमान	383	4.7
हिन्दु तथा सिख	7707	94.8
बौध तथा जैन	10	.12
दूसरे अन्य धर्म	12	.14
जोड़	8125	100.00

तालिका–2

अवस्था	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से कम	.....	.....
18 साल से 21 साल तक	416	5.12
22 साल से 30 साल तक	3255	40.06
31 साल से 40 साल तक	2561	31.52
41 साल से 60 साल तक	1580	19.44
60 साल से उपर	313	3.8
जोड़	8125	100.00

4. शिक्षा

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
वह जो पढ़ लिख सकते हैं	4925	60.61
वह केवल जो पढ़ सकते हैं	1698	20.89
अशिक्षित	1502	18.48
जोड़	8125	100

अध्यापकों द्वारा 1875 कैदियों को प्रोढ़ शिक्षा दी गई। वर्ष भर में विभिन्न जेलों के पुस्तकालयों से 8239 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई।

5. शिक्षित व्यवसाय

कुल भर्ती हुए 8125 कैदियों में से 4924 का सम्बन्ध खेती–बाड़ी से था तथा दूसरे शब्दों में इनकी संख्या 60.60 प्रतिशत थी। शेष बन्दियों का सम्बन्ध अन्य व्यवसायों से था।

विवरण संख्या–3

6. दण्ड

तालिका नं0 1

दण्ड का स्वरूप	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
साधारण कैद	2630	32.36
कठोर कैद	5495	67.63
जोड़	8125	100.00

तालिका नं0 2

दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
1 मास तक	93	1.14
1 मास से उपर तथा तीन मास से कम	123	1.51
3 मास से उपर तथा 6 मास से कम	140	1.72
6 मास से उपर तथा 1 वर्ष से कम	390	4.8
1 वर्ष से उपर तथा 2 वर्ष से कम	438	5.3
2 वर्ष से उपर तथा 5 वर्ष से कम	1416	17.79
5 वर्ष से उपर तथा 10 वर्ष से कम	1832	22.54
10 वर्ष से उपर तथा आजीवन कारावास	3649	44.91
11 मृत्यु दण्ड	14	.17
जोड़	8125	100.00

7. अभयस्थ कैदी (हैबीच्यूल)

वर्ष भर में 8125 कैदी दाखिल किए गए, दोषियों में 119 अभ्यस्थ बंदी थे।

8. विचाराधीन बन्दी

विचाराधीन बन्दियों की संख्या 1.4.2009 को 8708 थी। वर्ष भर में 55647 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। ऐसे बन्दियों की दैनिक औसत संख्या 9898 थी।

विचाराधीन बन्दियों पर मुकदमा चलाने के फलस्वरूप 9898 (15.10) प्रतिशत व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा 55647 (84.89) प्रतिशत बन्दियों को छोडा गया और छोड़ दिया गया। विचाराधीन बन्दियों को 55 दिन तक जेल मे रहना पडा।

विवरण संख्या–19

9. दिवानी बन्दी

वर्ष 1.4.2009 को 06 दीवानी बंदी थे। पूरे वर्ष 124 अतिरिक्त दीवानी बंदी भर्ती होने से कुल संख्या 130 हो गई। वर्ष भर मे 115 दीवानी बंदी रिहा किये गए। वर्ष के अंत में यानि 31.3.10 को उनकी संख्या 5 थी।

विवरण संख्या–9

10 सुरक्षा तथा बंदियों की देखभाल

बंदियो की सुरक्षा के प्रबंध तथा उनकी देखभाल पर वर्ष 1.4.2009 से 31.3.2010 तक रुपये 67,26,77,000/– का कुल खर्च हुआ। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 49,938/– रुपये प्रति वर्ष था (136 रुप्ये 81 पैसे प्रति बन्दी प्रति दिन)।

विवरण संख्या–12–क

11. बंदियों की काम पर नियुक्ति

क) बंदियों की संख्या जिन्हे कठोर कारावास दिया गया –6253

ख) बंदियों की दैनिक औसत संख्या जिन्हे जेल फैक्टरी में नियुक्त किया गया–709

12. बंदियों का स्वस्थ्य

बंदियों का सामान्य स्वस्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा बंदियों का स्तर भी ठीक प्रकार से बनाए रखा गया। बिमारियों से बचने के विभिन्न साधन जुटायें गए जेसै डी.डी.टी. के छिडकाव, चेचक के टीके आदि ,नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरो के आसपास की सफाई का ध्यान रखा गया।

तपेदिक के बन्दियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पैशल वार्ड में रखा गया और उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

विवरण संख्या–14

13. **जीवन सम्बन्धी सूचना**

10881 बंदी वर्ष भर में अस्पताल में भर्ती किए गए।

विवरण संख्या–15

मुख्य रोग जैसे हैजा, पेचिस, मलेरिया, तपेदिक, निमोनिया, अनिमिया के शिकार हुए 877 सिद्धदोषियों को भर्ती किया गया, जिन मे से 8 बन्दियों की मौत हुई।

विवरण संख्या–ख (जीवांक)

वर्ष भर में 8125 बंदी दाखिल हुए । इनमें से 2133 (26.25) प्रतिशत के वज़न में बढ़ोतरी हुई तथा 5278 (64.96) प्रतिशत के वज़न में न ही कोई कमी हुई और न ही कोई बढ़ोतरी हुई। 714 (8.78 प्रतिशत) बन्दियों के वज़न में कमी आई।

विवरण संख्या–ग

जिन बन्दियों ने उच्चतम कार्य किया और जिनका आचरण सन्तोषजनक था उन 4450 बन्दियों को छूट प्रदान की गई। 39 आजीवन कारावास बन्दियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3104 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया।

अध्याय नं0 5

उद्धार प्रभार :–

सदाचार बन्दियों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम–1926 पंजाब अभ्यासिक दोषी (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम 1952 और परिवीक्षा अधिनियम 1962

1. **विभाग का कार्यक्रम**

उद्धार विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2009–10 में डाः जोन वी. जोर्ज, आई.पी.एस महानिदेशक कारागार हरियाणा के पास रहा। इस सम्बन्ध में श्री आर0सी0 जोवल, आई0पी0एस0 महानिरीक्षक कारागार, श्री आर0सी0 मिश्रा, आई0पी0एस0 उप महानिरीक्षक एवं महानिरीक्षक कारागार, श्री सुधीर मोहन, आई0 पी0एस0 महानिरीक्षक कारागार, श्री के0के0 बंसल, वरिश्ठ लेखा अधिकारी, श्री वी0के0 जाम्ब, मुख्य लेखा अधिकारी, श्री कर्म चंद सैनी, लेखा अधिकारी, श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायवादी, श्री ब्रिज बिहारी, अधीक्षक, श्री दौलत राम, अधीक्षक, श्री ललित कुमार, अनुभाग अधिकारी, श्री राय सिंह, रत्न सिंह, आत्मा राम, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं श्री हरीश कुमार, एच0पी0एस0, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी ने उनकी सहायता की।

भाग–I

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम–1952 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नही पकडा गया।

भाग–II

परिवीक्षा अधिनियम 1962

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। वह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी नं0 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी नं0 – 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 263 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 69 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। विभिन्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख–भाल से 31.03.2010 को 121 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 158 निरीक्षण किए।

सारणी नं0– 2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 326 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। इनमें से 12 व्यक्तियों को परिवीक्षा अधिनियम धारा–3 के अधीन भर्त्सना करके छोडा गया, 102 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 197 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

सारणी–1

परिवीक्षा अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट, 2009–10 के दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं0	जिले	प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट वर्ष 2009–10 के दौरान न्यायालयों को भेजे गये।	वर्ष 2009–10 के शुरू होने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षाधीन रखा गया: राज्य	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनको परिवीक्षाधीन रखा गया: राज्य से बाहर	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि को समाप्त कर दिया गया	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिनकी परिवीक्षाधीन अवधि ठीक प्रकार समाप्त हुई	जिन्होने परिवीक्षा नियमों का उल्लंघन किया	दूसरे राज्यों व जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजे गये की संख्या	कुल निकाले	31.03.10 के अन्त में परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की संख्या	जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया
1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अम्बाला	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
2.	हिसार	....	....	5	....	....	....	....	....	....	5	20
3.	रोहतक	5	27	27	....	24	24	....	....	24	19	11
4.	करनाल	2	3	....	....	....	2	....	....	2	1	26
5.	सिरसा	31	12	30	1	12	12	....	....	24	19	....
6.	जीन्द	193	....	2	....	....	....	....	....	....	2	1
7.	गुडगावं	18	5	13	....	....	5	....	....	5	13	120
8.	भिवानी	14	62	....	15	4	....	....	....	14	62	....
	कुल	**263**	**109**	**77**	**16**	**40**	**43**	**0**	**0**	**69**	**121**	**158**

सारणी–2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई

वार्षिक विवरण पत्र 2009–10

क्रम सं0	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई यानि भर्त्सना करके छोडे गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	....	....	....	....
2.	हिसार	....	8	5	13
3.	रोहतक	....	14	10	24
4.	करनाल	....	1	2	3
5.	सिरसा	12	39	14	65
6.	जीन्द	....	....	2	2
7.	गुडगावं	....	124	65	189
8.	भिवानी	....	11	4	15
	कुल	**12**	**197**	**102**	**326**

1. **नल**

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबन्ध संतोषजनक रहा।

2. **गन्दे पानी का निकास**

इसका प्रबन्ध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

3. **वार्डर गार्द**

अब केवल वार्डर गार्द का एक ही हैडक्वार्टर, केन्द्रीय जेल अम्बाला में है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है :–

मुख्य वार्डर	.	255
वार्डर	.	2368
मैटरन	.	47
महिला वार्डर	.	138

कुल मिलाकर वार्डरों में अनुशासन संतोषजनक रहा।

4. जेल निरीक्षण :–

माननीय व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

❖	माननीय मुख्य मंत्री / मंत्रीगण	:	3
❖	उच्च न्यायालय के न्यायधीश	:	25
❖	आयुक्त तथा जिलाधीश	:	3
❖	जिला एवं सैशन जज	:	193
❖	उपायुक्त	:	30
❖	महानिदेशक कारागार/अपर महानिरीक्षक जेल	:	57
❖	गैर सरकारी दर्शक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों	:	291

चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2009–10 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई ।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ो तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि इन बातों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्दियों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दियों के सुधार की ओर भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2009–10 में विभिन्न उद्योगों से रूपये 53,28,884/– उत्पादन हुआ।

आकड़ों से ध्यान में निम्नलिखित सूचना विचाराधीन है :–

क. 18 से 21 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 5.02 प्रतिशत से बढ कर 5.12 प्रतिशत हो गई ।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े–लिखों की संख्या 60.61 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष या इससे कम अवधि की सज़ा पाने वालों की सख्या 17.98 प्रतिशत से घट कर 1.14 प्रतिशत हो गई क्यों कि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. मृत्यु दण्डित आजीवन कारावास तथा 10 वर्ष तक दण्डित बन्दियों की संख्या 35.61 प्रतिशत से बढ कर 45.08 प्रतिशत हो गई।

ङ लगभग 84.81 प्रतिशत विचाराधीन बंदी छोडे गये। विचाराधीन बन्दियों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

महानिदेशक कारागार,
हरियाणा।

50461—Prison—H.G.P., Chd.